


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों/कार्यालयों में प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक-मावि0 स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन, कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित कार्मिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।


क्र सं	नाम शिक्षा अधिकारी मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती)	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	श्री हनुमानसिंह राठौड प्रधानाचार्य, राउमावि जवाजा, अजमेर	दिनांक 19.01.19 से 07.03.19	राउमावि जवाजा अजमेर
2	श्रीमती मिथलेश लेखरा पधानाचार्य, राउमावि थडौली, टोडारायसिंह टोंक	दिनांक 21.11.17 से 31.01.18	राउमावि थडौली, टोडारायसिंह , टोंक
3	श्रीमती गायत्री अग्रवाल प्रधानाचार्य राउमावि लपावली करौली	मई 2018	राउमावि गोरडा, टोडाभीम करौली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/ मा/ संस्था/बी-1, 2/वेतन व्यवस्था/2019 दिनांक:- 28/05/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक
- 5 संबंधित प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक-मावि0 को पालनार्थ।
- 6 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 7 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक-कार्मिक